मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर

दांडिक अपील क्र. 716 / 1989

अपीलार्थी : 1) दुकालुराम, आ. पानीकरम उम्र 45 वर्ष।

2) जयकुमार आ. दुकालूरम उम्र 20 वर्ष।

3) चंद्रमा बाई पति दुकालूरम उम्र 40 वर्ष

सभी निवासी कहर चूहा पुलिस थाना लेलूँगा,

तहसील घरगबोरा, जिला रायगढ़, मध्य प्रदेश ।

(जेल में)

विरुद्ध

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

उत्तरवादिगण : मध्य प्रदेश राज्य

श्री के. एल. कोरी, द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश, रायगढ़ द्वारा सत्र प्रकरण क्रमांक 45/89 (राज्य बनाम दुकालुराम) में पारित निर्णय एवं दोषसिद्धि दिनांक 17/06/1989 के विरुद्ध दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 374 के अंतर्गत अपील ।

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय : बिलासपुर

दांडिक अपील क्र. 716 / 1989

दुकालुराम एवं अन्य

विरुद्ध

छत्तीसगढ़ राज्य

निर्णय

(दिनांक 26 जुलाई, 2005)

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

प्रकाशन हेतू अनुमोदित

<u>छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय : बिलासपुर</u>

<u>दांडिक अपील क्र. 716 / 1989</u>

दुकालुराम एवं अन्य

विरुद्ध

छत्तीसगढ़ राज्य

कोरम : माननीय न्यायाधीश श्री फखरूद्दीन, न्यायाधीश. और

माननीय न्यायाधीश श्री दिलीप राओसाहेब देशमुख, न्यायाधीश.

श्री एन के चैटर्जी, अपीलार्थी के ओर से अधिवक्ता।

श्री जे डी बाजपाई, शासकीय अधिवक्ता / अतिरिक्त लोक अभियोजक एवं श्री अखिल मिश्रा, पैनल अधिवक्ता, राज्य की ओर से ।

द्वारा माननीय न्यायाधीश श्री दिलीप राओसाहेब देशमुख, न.

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

<u>निर्णय</u>

(दिनांक 26 जुलाई, 2005)

सुना गया ।

2. यह अपील, सत्र वाद क्रमांक 45/1989 में, द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश, रायगढ़ द्वारा दिनांक 17-06-1989 को पारित निर्णय के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है, जिसके द्वारा अपीलार्थी दुकालुराम को अपने पुत्र राजकुमार की विष देकर हत्या कारित करने के अपराध में, जो की भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अंतर्गत दंडनीय है, दोषी ठहराया गया तथा उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। अपीलार्थी चंद्रमा बाई एवं जय कुमार को भी, राजकुमार की हत्या करने के लिए दुकालुराम के साथ सामान्य अभिप्राय साझा करने के कारण, भारतीय दंड संहिता की धारा 302 सहपठित धारा 34 के अंतर्गत दोषी ठहराया गया तथा उन्हें भी आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई।

3. अपीलार्थी दुकालुराम का निधन वर्ष 1992 में हो चुका है, अतः दुकालुराम की अपील का अवसान हो चुका है। यह अपील केवल उस सीमा तक विचारणीय है, जहाँ तक उक्त निर्णय अपीलार्थियों चंद्रमा बाई एवं जय कुमार से संबंधित है।

4. स्वीकार्य रूप से, अपीलार्थी क्रमांक 2 जय कुमार, अपीलार्थी क्रमांक 1 दुकालुराम एवं अपीलार्थी क्रमांक 3 चंद्रमा बाई का पुत्र है। मृतक राजकुमार, जय कुमार का भाई था।

5. संक्षेप में अभियोजन की कहानी इस प्रकार है कि दिनांक 17-04-1988 को ग्राम कहरचुआ में चंद्रमा बाई के ननकीराम से अवैध संबंधों के संबंध में एक पंचायत हुई थी। उस पंचायत में मृतक राजकुमार ने कहा था कि उसकी मां चंद्रमा बाई के ननकीराम से अवैध संबंध हैं। राजकुमार की पत्नी ने भी पंचायत में राजकुमार के कथन की पुष्टि की थी। पंचायत द्वारा राजकुमार एवं उसकी पत्नी पर ₹500/- का जुर्माना लगाया गया था क्योंकि उनके द्वारा लगाए गए आरोप असत्य पाए गए। इस संबंध में दस्तावेज प्रदर्श.P/9 पंचायत में तैयार किया गया। इसके बाद अपीलार्थीगण राजकुमार से इस मुद्दे पर अक्सर विवाद करते थे। दिनांक 02/01/1989 को अपीलार्थीगण ने पुनः राजकुमार से विवाद किया और सामान्य अभिप्राय के तहत अपीलार्थी दुकालुराम ने राजकुमार को जहरीला पदार्थ अर्थात एल्युमिनियम फॉस्फाइड (कीटनाशक) पिला दिया। इसके बाद, अपीलार्थीगण ने राजकुमार को पेड़ से बांधकर उसकी पिटाई की। सुकालुराम (आभियोजन साक्षी क्र.3), जो राजकुमार का चाचा है, ने उसे मुक्त किया और गेरूपानी में मदन गोंड के घर ले गया, जो मृतक का ससुर था। वहां राजकुमार ने मदन गोंड को बताया कि दुकालुराम ने उसे कोई कड़वा तरल पदार्थ पिलाया और फिर दुकालुराम, चंद्रमा बाई एवं जय कुमार ने मिलकर उसे पेड़ से बांधकर पीटा। यह कथन देने के तुरंत बाद राजकुमार बेहोश हो गया और उसी दिन उसकी मृत्यु हो गई। मदन गोंड ने दिनांक 02/01/1989 को प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफ.आई.आर.), प्रदर्श. P/17 दर्ज कराई। राजकुमार के शव का पोस्टमार्टम डॉ. शैलेन्द्र उपाध्याय (आभियोजन साक्षी क्र 6) द्वारा किया गया, जिन्होंने राजकुमार के शरीर पर कोई बाहरी चोट नहीं पाई। उन्होंने मृत्यु का कारण किसी विष के कारण हुई श्वासावरोध बताया। राजकुमार का पेट, छोटी व बड़ी आंत का भाग, यकृत का टुकड़ा, प्लीहा, दोनों गुर्दे (किडनी), तथा दोनों फेफड़े संरक्षित कर राज्य न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला, सागर को रासायनिक परीक्षण हेतु भेजे गए। प्रदर्श. P/22 के अनुसार, पेट, छोटी और बड़ी आंत में एल्युमिनियम फॉस्फाइड (सल्फास) की उपस्थिति पाई गई। एक रस्सी दुकालुराम के कथन पर प्रदर्श P/6 के तहत जप्त की गई। एक बांस की छड़ी अपीलार्थी जय कुमार से जप्त की गई। जांच पूरी होने के बाद, अपीलार्थियों के विरुद्ध सामान्य अभिप्राय के तहत राजकुमार की हत्या करने का अभियोग चलाया गया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

6. अभियुक्त/अपीलार्थियों ने आरोप से इंकार किया और विचारण की मांग की। अभियोजन पक्ष ने इस प्रकरण में कुल 14 गवाहों का परीक्षण कराया। माननीय विचारण न्यायाधीश ने अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों पर विश्वास करते हुए अभियुक्त/अपीलार्थी दुकालुराम को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अंतर्गत, तथा अभियुक्त/अपीलार्थी चंद्रमा बाई एवं जय कुमार को धारा 302 सहपठित धारा 34 के अंतर्गत दोषी ठहराया, और उन्हें पूर्ववर्णित दंड से दंडित किया।

7. श्री चैटर्जी, अपीलार्थियों के विद्वान अधिवक्ता ने इस अपील में मुख्यतः यह तर्क प्रस्तुत किया है कि जहाँ तक अपीलार्थी जय कुमार का संबंध है, उसके विरुद्ध कोई भी साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। आभियोजन साक्षी क्र.2 मदन गोंड का बयान स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि मृतक ने उसे बताया था कि विष दुकालुराम द्वारा कहरचुआ स्थित घर में पिलाया गया था। जहाँ तक राजकुमार को पेड़ से बांधकर मारपीट करने की घटना का प्रश्न है, राजकुमार के शरीर पर कोई भी बाहरी चोट नहीं पाई गई। उन्होंने यह भी तर्क प्रस्तुत किया कि आभियोजन साक्षी क्र.11 अमर साय ने प्रति परीक्षण के दौरान, अनुच्छेद 10 में न्यायालय के प्रश्न के उत्तर में स्पष्ट रूप से कहा कि घटना के समय अपीलार्थी जय कुमार घर पर उपस्थित नहीं था। अतः अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने यह तर्क किया कि राजकुमार की हत्या से अपीलार्थी जय कुमार को जोड़ने हेतु उसके विरुद्ध कोई भी साक्ष्य उपलब्ध नहीं है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

8. दूसरी ओर, श्री बाजपेयी, विद्वान शासकीय अधिवक्ता / अतिरिक्त लोक अभियोजक एवं श्री मिश्रा, विद्वान पैनल अधिवक्ता ने उक्त तर्कों का विरोध किया और यह कहा कि इस मामले में सामान्य आशय था और उसी सामान्य आशय के तहत विष पिलाया गया।

9. जहाँ तक राजकुमार की मृत्यु विष देने के कारण हुई इस प्रश्न का संबंध है, डॉ. शैलेन्द्र उपाध्याय (आभियोजन साक्षी क्र.6) की गवाही, जिन्होंने अंत्य परीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श P/11 के अनुसार पोस्टमार्टम किया, तथा राज्य न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट प्रदर्श P/22 के आधार पर, इसमें कोई संदेह नहीं रहता कि राजकुमार की मृत्यु एल्युमिनियम फॉस्फाइड (सल्फास) नामक कीटनाशक विष के सेवन से हुई थी और वह हत्यात्मक थी। अपीलार्थियों के विद्वान अधिवक्ता ने भी विचारण न्यायाधीश के इस निष्कर्ष को चुनौती नहीं दी है।

10.जहाँ तक राजकुमार को विष देने में अपीलार्थी जय कुमार अथवा चंद्रमा बाई की संलिप्तता का प्रश्न का संबंध है, मदन गोंड (अभियोजन साक्षी क्र.2) की गवाही पर विचार किया जाना आवश्यक है। मदन गोंड (अभियोजन साक्षी क्र.2) वह गवाह है, जिसे राजकुमार ने बताया था कि कहरचुआ स्थित घर में उसके पिता दुकालुराम ने उसे कोई कड़वा तरल पदार्थ पिलाया और फिर चंद्रमा बाई एवं जय कुमार की सहायता से उसे रस्सी से एक कटहल के पेड़ से बांध दिया। जहाँ तक राजकुमार को कटहल के पेड़ से रस्सी से बांधने तथा बाद में अपीलार्थियों द्वारा मारपीट करने की कहानी का प्रश्न है, यह उल्लेखनीय है कि आंतरिक परीक्षण के दौरान राजकुमार के शरीर पर कोई भी बाहरी चोट नहीं पाई गई। जहाँ तक राजकुमार द्वारा अभियोजन साक्षी क्र.2 मदन गोंड के समक्ष दिए गए मरणासन कथन का संबंध है, यह स्पष्ट रूप से केवल अपीलार्थी दुकालुराम को ही आरोपित करता है, अन्य किसी को नहीं। अमर साय (अभियोजन साक्षी क्र.11) की अनुच्छेद 10 में दिया गया कथन भी स्पष्ट रूप से मृतक राजकुमार को विष पिलाने में अपीलार्थी जय कुमार की संलिप्तता को नकारता है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

11.अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों पर विचारपूर्वक विचार करने के पश्चात, हम पाते हैं कि राजकुमार को विष देने के संबंध में केवल दुकालुराम के विरुद्ध ही साक्ष्य उपलब्ध हैं। जहाँ तक अपीलार्थी जय कुमार का प्रश्न है, हमें धारा 302 सहपठित धारा 34 भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत अपीलार्थी जय कुमार का दोष सिद्ध करने हेतु कोई भी साक्ष्य प्राप्त नहीं होता।

12.श्री चैटर्जी, अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने यह तर्क किया कि उन्हें केवल अपीलार्थी क्रमांक 2 जय कुमार की ओर से उपस्थिति देने के निर्देश प्राप्त हैं, तथापि उन्होंने यह भी प्रस्तुत किया कि अपीलार्थी क्रमांक 3 चंद्रमा बाई, जिसे दिनांक 19-08-2000 को परिवीक्षा पर रिहा किया गया है, को भी समान आधार पर विचार किए जाने का अधिकार है, क्योंकि मृतक राजकुमार को विष देने के संबंध में उसके विरुद्ध कोई साक्ष्य नहीं है। हमने अभिलेख में उपलब्ध साक्ष्यों तथा सामग्री का अवलोकन किया है। यदि मरणासन कथन को सत्य मान भी लिया जाए, तो वह केवल दुकालुराम के विरुद्ध है, और जहाँ तक चंद्रमा बाई का संबंध है, अभियोजन पक्ष यह अपराध संदेह से परे सिद्ध करने में असफल रहा है। इस दृष्टिकोण से, न्याय की भावना के अनुरूप, हम अपीलार्थी चंद्रमा बाई को भी लाभ प्रदान करते हैं।

13.परिणामस्वरूप, जहाँ तक अपीलार्थी क्रमांक 1 दुकालुराम का प्रश्न है, उनकी अपील का अवसान हो गया है तदनुसार उपशमन के रूप में खारिज की जाती है। जहाँ तक अपीलार्थी क्रमांक 2 जय कुमार एवं अपीलार्थी क्रमांक 3 चंद्रमा बाई का संबंध है, उनकी अपील स्वीकृत की जाती है। अपीलार्थी जय कुमार एवं चंद्रमा बाई को भारतीय दंड संहिता की धारा 302/34 के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

14.निर्णय समापन से पूर्व, हम दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रदान की गई सहायता के लिए अपनी सराहना अभिलिखित करते हैं।

सही/-
श्री फखरूद्दीन
न्यायाधीश
माननीय न्यायाधीश
26-07-2005

सही/-
श्री दिलीप राओसाहेब
देशमुख न्यायाधीश
माननीय न्यायाधीश
26-07-2005

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

Translated By Adv. Shikhar Bakhtiyar